फर्द अहकाम

अध्यक्ष नगर विकास न्यास (कलक्टर) भरतपुर

बुधसिंह बनाम सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर 02 सन 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनियशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
06.01.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपीलान्ट बुधसिंह पुत्र नन्नूराम द्वारा रामेश्वरसिंह, 234 रूंधिया नगर,बाबा सुग्रीव स्कूल के पीछे भरतपुर की अपील सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपीलार्थी ने अपनी अपील में अंकित किया है कि उसके द्वारा दिनांक 19.10.2020,18.11.2020 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर से सूचनाऐं चाही गई थी किन्तु सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई हैं। पत्रावली दर्ज रजिस्टर हो । प्रस्तुत अपील का अवलोकन किया । अपीलान्ट ने अपनी अपील के साथ न तो सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर को प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 19.10.2020, 18.11.2020 की प्रति संलग्न की है और न ही अपनी अपील में यह अंकित किया है कि उसके द्वारा सचिव नगर विकास न्यास भरतपुर से क्या सूचना चाही गई हैं । अपील में वर्णित तथ्य अस्पष्ट होने से अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है । सूचना अपीलान्ट को भेजी जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 15:34:47 IST
Reason: SelfAttested